राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

## पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – ठाठवाड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –38/2019

1. सज्जन सिंह पुत्र इन्द्राज उम्र 36 वर्ष जाति अहीर निवासी मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. सन्तोष पुत्री इन्द्राज उम्र 40 वर्ष जाति अहीर निवासी मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

**ब–ना–म**

1. कालु पुत्र श्योनाथ उम्र 37 वर्ष
2. खेता पुत्र झण्डुराम उम्र 80 वर्ष
3. महेन्द्र पुत्र श्योनाथ उम्र 42 वर्ष
4. रोहिताश पुत्र श्योनाथ उम्र 60 वर्ष
5. विजय सिंह पुत्र नन्दलाल उम्र 65 वर्ष
6. हनुमान पुत्र नन्दलाल उम्र 50 वर्ष
7. महेन्द्र पुत्र नन्दलाल उम्र 45 वर्ष
8. जियाराम पुत्र सरबति
9. दोदराम पुत्र सरबति जाति अहीर निवासी मानपुरा तह0 बुहाना
10. मालाराम पुत्र सरबति
11. भाना उर्फ भगवानी पुत्री सरबति पत्नी मीरसिंह जाति अहीर निवासी सीगड़ा तह0 व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
12. शांति पुत्री सरबति पत्नी दुलीचन्द जाति अहीर निवासी खेड़की तह0 व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
13. लाली पुत्री सरबति पत्नी कंवर सिंह जाति अहीर निवासी सीगड़ा तह0 व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
14. समुन्द्र सिंह पुत्र रेवती जाति अहीर निवासी खेड़की तह0 व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
15. शारदा पुत्री रेवती जाति अहीर निवासी खेड़की तह0 व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू–अभिलेख, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

**दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.29 13:06:47 IST
Reason: SelfAttested

–निर्णय– दिनांक 20–10–2021

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी में वादीगण [illegible] जयनारायण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 323 रकबा 0.20 है., ख.नं. 324 रकबा 0.32 है. किता 2 [illegible] 0.52 है. स्थित है। इस भूमि में जयनारायण पुत्र भेभा का [illegible] हिस्सा था। जयना[illegible]

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

नाऔलाद एवं अविवाहित था उसके वारिशान में उसका एक मात्र भाई इन्द्राज ही था। भेमाराम के बड़े पुत्र जयनारायण की खातेदारी की यह भूमि थी जयनारायण के एक मात्र भाई इन्द्राज था जो वादीगण का पिता था वादीगण की माता बनारसी की मृत्यु सन् 1986 में हो गई थी एवं वादीगण के पिता इन्द्राज की मृत्यु सन् 2014 में हुई है तथा जयनारायण की बहिन सरबति की मृत्यु सन् 1992 में हो चुकी थी सरबति के प्रतिवादी सं. 8 लगायत 10 पुत्र एवं 11 लगायत 13 पुत्री हैं एक पुत्री रेवती जो प्रतिवादी सं. 14 व 15 की माता थी उसकी भी मृत्यु हो चुकी है रेवती की मृत्यु अपनी माता सरबति से भी पहले हो चुकी है। इस प्रकार जयनारायण के उत्तराधिकारियों में जयनारायण की मृत्यु सन् 1999 में होने के समय उसका एक मात्र भाई इन्द्राज था जो वादीगण का पिता है उसकी मृत्यु दिनांक 13.08.2014 को हो चुकी है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि ख.नं. 323, 324 किता 2 रकबा 0.52 है. में जयनारायण के 1/6 हिस्सा के खातेदार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूचि के अनुसार जयनारायण की मृत्यु के बाद वादीगण का पिता इन्द्राज था एवं इन्द्राज की मृत्यु के बाद वादीगण इसके खातेदार हैं। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि के जयनारायण की मृत्यु के बाद वादीगण का हकपूर्वाधिकारी इन्द्राज खातेदार बन गया था एवं वादीगण के पिता इन्द्राज की सन् 2014 में मृत्यु के बाद वादीगण इसके खातेदार बन चुके हैं। वादीगण के पिता इन्द्राज के भाई जयनारायण की मृत्यु सन् 1999 में होते ही वादीगण का पिता कानूनी प्रावधानों के अनुसार इस भूमि का खातेदार बन चुका था। लेकिन जयनारायण की मृत्यु के पश्चात नामांतकरण सं. 177 दर्ज किया गया तो उसमें मृतक जयनारायण के भाई इन्द्राज का 1/2 हिस्सा एवं जयनारायण की मृत बहिन सरबति के पुत्रों एवं पुत्रियों प्रतिवादी सं. 8 लगायत 13 एवं उनकी मृत बहिन रेवती जो प्रतिवादी सं. 14 व 15 की मता थी उनके नाम 1/2 हिस्सा का अर्थात् कुल भूमि कें 1/12–1/12 हिस्सा का नामांतकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। मृतक नाऔलाद अविवाहित भाई की सम्पति उसके जीवित भाईयों में ही न्यागत होती है मृत बहिन या उसके वारिशान को प्राप्त नहीं होती है इस प्रकार नामांतकरण सं. 177 कानून के विपरित होने से शुन्य एवं निष्प्रभावी है। वाद वर्णित भूमि ख.नं. 323 ख.नं. 324 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है. के वादीगण 1/6 हिस्सा के खातेदार हैं इस भूमि की खातेदारी में नामांतकरण सं. 177 के जरिये प्रतिवादी सं. 8 लगायत 14 एवं प्रतिवादी सं. 14 व 15 की माता रेवती का नाम गलत दर्ज हुआ है इसलिए वादीगण अपने 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 एवं मृतक रेवती का नाम हटाये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 323 रकबा 0.20 है., ख.नं. 324 रकबा 0.32 है. किता 2 रकबा 0.52 है. में वादीगण को 1/12 के स्थान पर 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 8 लगायत 14 का एवं प्रतिवादी सं. 14 व 15 की माता रेवती का नाम हजफ कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन् जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 15 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.29 13:06:47 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ठाठवाड़ी में पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का सम्यकपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण पत्रावली प्रस्तुत प्रलेखीय दस्तावेजात व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

15 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के मुताबिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम मुकन्दपुरा स्थित भूमि खाता सं. 45 के खसरा नंबर 323, 324 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है. में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 8 लगायत 13 एवं प्रतिवादी सं. 14 व 15 की माता रवेती का नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प ठाठवाड़ी में दिनांक 20–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.29 13:06:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner